अध्याय : 3

अध्ययन का परिवेश

अध्ययन का परिवेश

जनसंख्या आधिक्य, नगरीकरण और औद्योगीकरण के फलस्वरूप वाराणसी एक धार्मिक स्थल के अलावा व्यावसायिक स्थल के रूप में स्थापित होता जा रहा है। व्यापार का आज वाराणसी में काफी विकास हुआ है। चारों ओर सड़कों और यातायात तथा संचार के साधनों के विकास से व्यापार में काफी वृद्धि हुई है। वाराणसी की बनारसी साड़ियाँ विश्व में प्रसिद्ध हैं। शिवपुर में पहले अपने जमाने की सन (सनई के रेशे) की सबसे बड़ी मंडी थी। आज भी वाराणसी में साड़ियों का काफी कारोबार होता है जिसके साथ कपड़ों के कारोबार को भी प्रतिष्ठित होने में सहायता मिली। इस जनपद में पूर्वांचल की सबसे बड़ी अनाज मंडी विश्वेश्वरगंज में है। सब्जियों के लिये पहड़िया एवं चन्दुआ मंडी विख्यात है। कोयला की चन्दासी मंडी है।

वाराणसी की प्रादेशिक संरचना पर दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि उत्तर प्रदेश सामाजिक तथा राजनैतिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है। प्रशासकीय तथा राजनैतिक स्तर पर यह अनेक बार संगठित तथा पुनर्गठित हुआ है और कालान्तर में इसे विभिन्न नामों द्वारा सम्बोधित किया जाता रहा है परन्तु इसे अपना वर्तमान

नाम उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को दिया गया। भारतीय गणतन्त्र में एक स्वतन्त्र प्रान्त के रूप में इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। प्राचीन काल से ही उत्तर प्रदेश भारतीय संस्कृति, धर्म तथा शिक्षा का मुख्य केन्द्र रहा है। प्रदेश को सर्वाधिक धार्मिक संस्थानों तथा सामाजिक सांस्कतिक प्रतिष्ठानों के होने का गौरव प्राप्त है। इस राज्य में अन्य राज्यों की अपेक्षा सर्वाधिक पवित्र स्थल हैं जिसके कारण इसे भारत का सामाजिक–सांस्कृतिक हृदय भी कहा जाता है। हिन्दू संस्कृति का केन्द्र होने के कारण यहाँ विश्व तथा भारत के कोने–कोने से दर्शनार्थी, विद्यार्थी तथा पर्यटक आते रहे हैं।

उत्तर प्रदेश $23^{0}28'$ उत्तरी अक्षांस और $74^{0}4'$ पूर्वी तथा $84^{0}37'$ पूर्वी देशान्तर के मध्य अवस्थित है। इस प्रदेश के उत्तर में तिब्बत, चीन तथा नेपाल की सीमायें हैं, जबकि दक्षिण में भारतीय प्रान्त मध्य प्रदेश है। उत्तर–पूर्व तथा पश्चिम में इसकी सीमायें हिमांचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान से मिलती हैं।

प्रशासकीय दृष्टिकोण से यह राज्य 70 जनपदों में विभक्त है। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 16,60,52,859 है जिसमें पुरूषों की संख्या 8,74,66,301 है तथा स्त्रियों की संख्या 7,85,86,558 है। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता

57.36 प्रतिशत है। पुरूष साक्षरता 70.23 तथा महिला साक्षरता 42. 97 प्रतिशत है।

वाराणसी की ऐतिहासिकता पर यहाँ दृष्टि प्रासंगिक है। वाराणसी को बनारस, काशी या वाराणसी नामों से सम्बोधित किया जाता रहा है। काशी का प्रारम्भिक राजवंश मनु से प्रारम्भ होता है। महाराजा काशी जो मनु राजवंश के सातवें शासक थे उन्हीं के नाम पर काशी का नामकरण हुआ तथा राजा काश के बाद धनवनतरी, हर्मस्व, सुदेव, दिवीदास, प्रवर्दन तथा अर्लक आदि काशी के राजा थे। तीस शताब्दियों तक यह नगर अत्यन्त पवित्र रहा है। कोई भी दूसरा नगर हिन्दुओं के धार्मिक भावनाओं को आकर्षित नहीं कर सका है जितना कि काशी ने किया है। हिन्दुओं के लिये शिक्षा व धार्मिक भावनाओं का प्रतीक काशी ही है। केवल हिन्दू ही नहीं बल्कि शाक्यमुनि बुद्ध ने बोधगया से आकर अपने धर्मचक्र का प्रथम प्रवर्तन काशी में किया था, वेदों, पुराणों और उपनिषदों में विभिन्न श्लोकों में काशी का उल्लेख पाया जाता है। उपनिवेश काल में वाराणसीका अंग्रेजी नाम बनारस था लेकिन अब इसे पुनः वाराणसी की संज्ञा प्राप्त है।

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार काशी का इतिहास यद्यपि विश्वनाथ सा अनादि नहीं है। तथापि काशी ब्रह्म स्वरूपा है जवालोपनिषद के अनुसार अतिमुक्त वाराणसी का क्षेत्र वरूणा व

अस्सी नदियों के मध्य स्थित है। यह नगर काशी विश्वनाथ का निवास स्थल है। जा रूद्र नाम से वैदिक साहित्य में विख्यात है। इसलिये यह शहर रूद्रावास के नाम से भी प्रसिद्ध है। लोकोक्तियों के अनुसाी काशी के कंकड़ शिवशंकर के समान है काशी में निवास करने वाले भगवान शिवशंकर के स्वरूप हैं। काशी में पग–पग पर तीर्थ है और तिल–तिल पर शिव लिंग है।

हिन्दुओं की धारणानुसार काशी (बनारस) प्रलय के पूर्व भी स्थित थी जिसे महादेव शिव ने अपने त्रिशूल पर उठाकर घोर विपत्ति के समय उसकी रक्षा की और जलप्लावन से बचाया।

वाराणसी की प्राचीनता के सन्दर्भ में कहा जाता है। कि सृष्टि के साथ ही शिव नगरी की स्थापना हुयी थी। शताब्दियों के परिवर्तनशील स्थितियों मे यह नगरी अद्ययतन जीवित एवं समृद्धिशाली रही है, काशी के बारे में कहा जाता है कि चारो युगों में काशी का अलग–अलग स्वरूप रहा है। सतयुग में काशी त्रिशुल के समान, त्रेता में चक्र के समान, द्वापर में रथ के आकार की ओर कलयुग में शंख के समान है। यह उदाहरण काशी क्षेत्र के आकार में होने वाले परिवर्तनों की ओर संकेत करता है।

पुराणों में काशी को शैव धर्म का प्रमुख केन्द्र माना गया है क्योंकि यहाँ भगवान विश्वनाथ सदा निवास करते हैं। पुराण इस

बात के साक्षी हैं कि काशी तीर्थ भगवान शिव का प्रधान क्षेत्र है। जो सृष्टि के समय से चला आ रहा है।

वाराणसी में शिक्षा का प्रसार बहुत पहले से हो रहा है। यहाँ पर शिक्षा के लिये तमाम शिक्षण संस्थाएँ उपलब्ध हैं। प्राचीन काल से ही यहाँ पर धार्मिक शिक्षा के साथ ही साथ सांस्कृतिक शिक्षा का विकास होता रहा है। यहाँ पर तीन विश्वविद्यालय हैं। सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ व काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (बी. एच. यू.) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में संस्कृत माध्यम से धार्मिक के साथा–साथ वैदिक व व्यवसायिक शिक्षा दी जाती है। काशी विद्यापीठ जिसका नाम बदलकर राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के नाम पर महात्मा गाँधी काशी विद्यपीठ रखा गया है। शिक्षा का एक महान केन्द्र है। यहाँ आचार्य नरेन्द्र देव, आचार्य कृपलानी, शिव प्रसाद गुप्त आदि महान विभूतियों की कर्मस्थली रही है। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय विश्व स्तर का विश्वविद्यालय है। जहाँ पर देश–विदेश के छात्र–छात्रायें हर प्रकार की शिक्षा ग्रहण करते हैं।

बनारस की बनारसी साड़ियाँ विश्व में मशहूर है। तथा शहर के दक्षिण दिशा में रेल इंजन बनाने का बहुत बड़ा कारखाना है जो डी. एल. डब्लू. के नाम से जाना जाता है। वाराणसी से अभी हाल में अलग हुये भदोही जिले में कारपेट का बहुत ज्यादा काम हाता

है। अभी वाराणसी के तमाम क्षेत्रों में यह कार्य तीव्र गति से चलल रहा है। लहरतारा और रामनगर में इंडस्ट्रीयल इस्टेट हैं जहाँ पर कारखानों में बहुत सी वस्तुयें बनायी जाती हैं। इन सब के बाद भी वाराणसी में बहुत ज्यादा उद्योग नहीं है।

उत्तर प्रदेश का वाराणसी जनपद विश्व के प्राचीनतम सांस्कृतिक केन्द्रों मे एक हैं, जो काशी के नाम से प्रसिद्ध है। भारत ही नही अपितु समस्त विश्व को ज्ञान प्रदान करने वाली तथा आध्यात्मिक प्रकाश पुंज को विखेरने वाली वाराणसी नगरी पूर्वांचल की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं। गंगा तट के अर्द्धचन्द्राकार पे बसी हुई यह नगरी गंगा तथा वरुणा के पावन शिखरों से अभिसिंचित हैं तथा प्राचीनतम संस्कृति एवं सभ्यता को युग–युगान्तरों से संजोए हुए हैं। शिक्षा, धर्म, दर्शन, कला, औषधि, विज्ञान, चित्रण कला, बनारसी साड़ियाँ एवं रेशमी कपड़ों के उपर विलक्षण दस्तकारी कार्य के लिए यह नगरी विश्व प्रसिद्ध हैं।

वाराणसी जनपद 24^0 56' से 25^0 35' उत्तरी अक्षांश और 81^0 14' से 83^0 24' पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित हैं। वाराणसी के उत्तर पश्चिम में जौनपुर, दक्षिण में मिर्जापुर, उत्तरपूर्व में गाजीपुर तथा पूर्व में बिहार प्रान्त अपनी सीमा को दर्शाते हैं। वाराणसी का क्षेत्रफल 1550.20 वर्ग किमी. हैं। क्षेत्रफल के आधार पर इसका प्रदेश में 66वाँ

स्थान हैं। वाराणसी की कुल जनसंख्या 3147927 हैं। जनसंख्या के आधार पर इस जनपद का उत्तर प्रदेश में 16वाँ स्थान हैं। इस जनपद की पुरुष जनसंख्या 1650138 एवं महिला जनसंख्या 1497789 है। इस जनपद की साक्षरता 67.09 प्रतिशत है। इस जनपद का मुख्यालय वाराणसी हैं। सदर एवं पिण्डरा दो तहसीलें हैं एवं चिरईगांव, हरहुआ, पिण्डरा, बड़ागाँव, सेवापुरी, काशी विद्यापीठ, अराजीलाइन, चोलापुर नामक 8 विकास खण्ड हैं। गंगा के 84 घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर, मानस मंदिर, मारकण्डेय महादेव कैथी, सारनाथ, बौद्ध मंदिर, रामनगर किला आदि प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल हैं।

वाराणसी को बनारस काशी या वाराणसी नामों से सम्बोधित किया जाता रहा हैं। काशी का प्रारम्भिक राजवंश मनु से प्रारम्भ होता हैं। महाराजा काशी जो मनु राजवंश के सातवें शासक थे उन्हीं के नाम पर काशी का नामकरण हुआ तथा राजा काश के बाद धनवन्तरी, हर्मस्व, सुदेव, दिवीदास, प्रवर्दन तथा अर्लक आदि काशी के राजा थे। तीस शताब्दियों तक यह नगर अत्यन्त पवित्र रहा है। कोई भी दूसरा नगर हिन्दुओं के धार्मिक भावनाओं को आकर्षित नही कर सका हैं जितना कि काशी ने किया हैं। हिन्दुओं के लिये शिक्षा व धार्मिक भावनाओं का प्रतीक काशी ही हैं। केवल

हिन्दू ही नहीं बल्कि शाक्यमुनि बुद्ध ने बोध गया से आकर अपने धर्मचक्र का प्रथम प्रवर्तन काशी में किया था, वेदों, पुराणों और उपनिषदों में विभिन्न श्लोकों में काशी का उल्लेख पाया जाता हैं। उपनिवेश काल में वाराणसी का अंग्रेजी नाम बनारस था लेकिन अब इसे पुनः वाराणसी की संज्ञा प्राप्त हैं।

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार काशी का इतिहास यद्यपि विश्वनाथ सा अनादि नही हैं। तथापि काशी ब्रह्म स्वरुपा हैं जावालोपनिषद के अनुसार अतिमुक्त वाराणसी का क्षेत्र वरुणा व अस्सी नदियों के मध्य स्थित हैं। यह नगर काशी विश्वनाथ का निवास स्थल हैं। जो रुद्र नाम से वैदिक साहित्य में विख्यात हैं। इसलिये यह शहर रुद्रावास के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। लोकोक्तियों के अनुसार काशी के कंकड शिवशंकर के समान है काशी में निवास करने वाले भगवान शिवशंकर के स्वरुप हैं। काशी में पग–पग पर तीर्थ हैं और तिल–तिल पर शिव लिंग है।

हिन्दुओं की धारणानुसार काशी (बनारस) प्रलय के पूर्व भी स्थित थी जिसे महादेव शिव ने अपने त्रिशूल पर उठाकर घोर विपत्ति के समय उसकी रक्षा की और जलप्लावन से बचाया।

वाराणसी की प्राचीनता के सन्दर्भ में कहा जाता हैं। कि सृष्टि के साथ ही शिव नगरी की स्थापना हुई थी। शताब्दियों के

परिवर्तनशील स्थितियों में यह नगरी अद्यतन जीवित एवं समृद्धिशाली रही हैं, काशी के बारे में कहा जाता हैं कि चारों युगों में काशी का अलग–अलग स्वरुप रहा हैं। सतयुग में काशी त्रिशूल के समान, त्रेतायुग में चक्र के समान, द्वापर में रथ के आकार की ओर कलयुग में शंख के समान हैं। यह उदाहरण काशी क्षेत्र के आकार में होने वाले परिवर्तनों की ओर संकेत करता है।

पुराणों में काशी को शैव धर्म का प्रमुख केन्द्र माना गया हैं क्योंकि यहाँ भगवान विश्वनाथ सदा निवास करते हैं। पुराण इस बात के साक्षी हैं कि काशी तीर्थ भगवान शिव का प्रधान क्षेत्र हैं। जो सृष्टि के समय से चला आ रहा हैं।

वाराणसी में शिक्षा का प्रसार बहुत पहले से हो रहा हैं। यहाँ पर शिक्षा के लिये तमाम शिक्षण संस्थाएँ उपलब्ध हैं। प्राचीन काल से ही यहाँ पर धार्मिक शिक्षा के साथ ही साथ सांस्कृतिक शिक्षा का विकास होता रहा हैं। यहाँ पर तीन विश्वविद्यालय हैं। सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ व काशी हिन्दू विश्वविद्याालय (बी. एच. यू.) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में संस्कृत माध्यम से धार्मिक के साथ–साथ वैदिक व व्यवसायिक शिक्षा दी जाती हैं। काशी विद्यापीठ जिसका नाम बदलकर राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के नाम पर महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ रखा गया

है। शिक्षा का एक महान केन्द्र हैं। यहाँ आचार्य नरेन्द्र देव, आचार्य कृपलानी, शिव प्रसाद गुप्त आदि महान विभूतियों की कर्मस्थली रही है। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय विश्व स्तर का विश्वविद्यालय है। जहाँ पर देश–विदेश के छात्र–छात्रायें हर प्रकार की शिक्षा ग्रहण करते हैं।

बनारस की बनारसी साड़िया विश्व में मशहूर हैं। तथा शहर के दक्षिण दिशा में रेल इंजन बनाने का बहुत बड़ा कारखाना हैं जो डी. एल. डब्ल्यू के नाम से जाना जाता हैं। वाराणसी से अभी हाल में अलग हुये भदोही जिले में कारपेट का बहुत ज्यादा काम होता हैं। अभी वाराणसी के तमाम क्षेत्रों में यह कार्य तीव्र गति से चल रहा हैं। लहरतारा और रामनगर में इंडस्ट्रीयल इस्टेट हैं जहाँ पर कारखानों में बहुत सी वस्तुयें बनायी जाती हैं। इन सब के बाद भी वाराणसी में बहुत ज्यादा उद्योग नही है।

प्राचीन काल से ही वाराणसी हस्तशिल्प, व्यापार, पर्यटन एवं सिल्क बुनाई उद्योग का एक महत्वपूर्ण केन्द्र रहा है। पान, बीड़ी, अगरबत्ती, साबुन, खिलौना, कानील, सिल्क एवं जरी, आतिशबाजी, मोटर गैराज आदि विस्तृत रूप से अपना औद्योगिक एवं व्यवसायिक परिदृश्य रखते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वाराणसी जिले में 84 पेईंग गेस्ट हाउस पंजीकृत है। इसी प्रकार लॉज, धम्रशाला, अतिथि

गृह व होटल तरकरीबन चार सौ से अधिक हैं। इनमें दशाश्मेध में 80, चेतगंज में 16, लक्सा में 25, सिगरा में 59, चौक में 37, कैण्ड में 39, भेलूपुर में 44, कोतवाली में 13 व लंका क्षेत्र में 18 हैं। इसके अतिरिक्त हजारों की संख्या में होटल, ढ़ाबे एवं चाय–पानी की दुकानें हैं। इनकी विस्तृत संख्या का कारण प्रतिदिन व्यापारियों, दर्शनार्थियों, विदेशी पर्यटकों का अपने–प्रयोजन के निमित्त आना–जाना होता है। इसके चलते यहाँ इस क्षेत्र में बाल श्रम की बहुलता है।[1]

वाराणसी के सिल्क उद्योग एवं कालीन उद्योग में बाल श्रमिकों की समस्या उत्पादन प्रक्रिया के प्रकृति से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं बनारसी सिल्क वस्त्र की बुनाई 'पिट लूम' पर किया जाता है। आधारभूत रूप से एक करघे पर एक बुनकर की ही आवश्यकता होती है परन्तु यह तभी संभव है जब साड़ी अथवा थान की बुनाई बिल्कुल 'प्लेन' (सपाट) हो अर्थात् उसमें किसी प्रकार की डिजाइन न हो। यदि साड़ी के 'बार्डर' पल्लू एवं उसके समतल पर कुछ अधिक डिजाइन अथवा महत्वपूर्ण बुनाई होता है उसमें अतिरिक्त दस्तकारी के सहयोग की आवश्यकता होती है। साधारणतया इसी प्रकार के 'सहयोग' का कार्य 'बाल श्रमिकों' से कराया जाता है। पहले इस प्रकार के कार्य में लगभग तीन व्यक्तियों

---

1 रिपोर्ट दैनिक जागरण, वाराणसी, 20.12.2006.

(कारीगरों) की आवश्यकता होती थी परन्तु 'जैकुआर्ड मशीन' ;श्रंबुनंतमक डमबीपदमद्ध के प्रचलन के कारण तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। इतना सब कुछ होने के उपरान्त भी बाल श्रमिक की अभी भी आवश्यकता होती है।[1]

साड़ी की बुनाई एवं उसके उत्पादन प्रक्रिया में एक व्यक्ति से अधिक की सहभागिता आवश्यक होती है। बनारसी साड़ी–बुनाई उद्योग में परिवार उत्पादन की इकाई होती है जिसमें सिर्फ वयस्क बुनकर ही उत्पादन की प्रक्रिया में अपना रचनात्मक सहयोग प्रदान करते हैं। उदाहरणार्थ 'नरीबाना' कार्य साधारणतया महिला सदस्यों के द्वारा प्रतिपादित होता है। कभी–कभी धागों के रंगाई का कार्य भी महिला सदस्यों के द्वारा ही प्रतिपादित होता है। इस प्रकार साड़ी– बुनाई उद्योग में बच्चों की अधिक सहभागिता होती है। बच्चों की सहभागिता बुनाई की प्रक्रिया में मुख्य बुनकर को सहयोग प्रदान करना होता है। इस संदर्भ में या तो बच्चे बार्डर की डिजाइन बुनने में या साड़ी के तल की बुनाई में मदद करते हैं।[2]

---

1 शीला बार्से 1986 – चाइल्ड लेबर इन पावरलूम इन्डस्ट्री एट भिवान्डी चाइल्ड लेबर से सम्बन्धित कार्यशाला में इंडियन सोशल इन्स्टीट्यूट नई दिल्ली में प्रस्तुत शोध–निबन्ध।

2 नीलिमा कुँवर एवं वन्दना वर्मा 1998 – ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बाल मजदूरी 'कुरुक्षेत्र' अगस्त 43 (10)।

साड़ी की बुनाई में दो प्रकार के बाल श्रमिक कार्यरत होते हैं। प्रथम कमेटी के अन्तर्गत वे बाल श्रमिक आते हैं जो बुनकर के परिवार से सम्बन्धित होते हैं। जैसे ही बालक 8 वर्ष की अवस्था का होता है उन्हें करघे पर साधारण कार्यों जैसे टूटे धागों को प्राप्त करना तथा धान में टूटे धागों को जोड़ना आदि में लगा दिया जाता है। जैसे–जैसे बालक बड़ा होता जाता है वैसे–वैसे करघे के बुनाई से सम्बन्धित कठिन कार्य उसे प्रदान किया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि उसका व्यावसायिक प्रशिक्षण उत्तरोत्तर गहन होता जाता है। दो तीन वर्ष में वह साड़ी बुनाई कला में दक्ष हो जाता है। बाल श्रमिक के रूप में करघे पर कार्य करते हुए वह धीरे–धीरे वयस्क बुनकर बन जाता है तथा स्वतंत्र रूप से साड़ी बुनाई का कार्य करने लगता है।[1]

द्वितीय प्रकार के बाल श्रमिक वे हैं जिन्हें मजदूरी पर रखा जाता है। उन करघों पर जिन पर बहुत महत्वपूर्ण एवं सूक्ष्म डिजाइन को बार्डर एवं सतह पर बनाना होता है उसमें कुछ अधिक बाल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक बुनकर परिवार में वांछित बाल श्रमिकों को प्राप्त नहीं किया जाता। ऐसी स्थिति में कुछ बालकों को मजदूरी पर रखना आवश्यक हो जाता है। परिणामस्वरूप

---

1 एस. के. त्रिपाठी 1990 – चाइल्ड लेबर नीड फार सोशल अवेयरनेस, योजना 23 (2)।

बाल–कर्ताओं को निर्धारित मजदूरी पर प्राप्त करने की व्यवस्था की जाती है। जैसे–जैसे करघों की संख्या बढ़ती है वैसे–वैसे बाल श्रमिकों के संख्या में वृद्धि होती है। परिवर्तित परिवेश में बाल श्रमिकों को प्राप्त करना बहुत कठिन हो रहा है क्योंकि परिवार अपनी युवा पीड़ी को अभावबोध से पीड़ित करना नहीं चाहती तथा शिक्षा के सुनहरे अवसरों के लाभ से भी उन्हें वंचित करना नहीं चाहती। इसका परिणाम यह है कि बनारसी साड़ी उद्योग को बाल श्रमिकों के अभाव से जूझना पड़ता है। इस संदर्भ में या तो बनारसी साड़ी उद्योग से बुनाई के पुराने प्रारूपों को समाप्त करना होगा जिससे कम से कम बाल श्रमिकों का उपयोग हो अथवा बाल श्रमिकों के माता–पिता अथवा अभिभावकों को उन्हें प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक मजदूरी का लालच देना होगा। अधिकांश परिस्थितियों में बाल श्रमिकों के परिवार को उन्हें प्राप्त करने के लिए अग्रिम धनराशि देनी पड़ती है। इस प्रकार के प्रचलन के चलते 'मालिक बुनकरों' में बाल श्रमिक की सेवा प्राप्त करने के लिये प्रतिस्पर्द्धा बढ़ गई है कुछ विषम परिस्थितियों में बाल श्रमिकों की सेवाओं को प्राप्त करने के लिए कुछ गलत माध्यम भी अपनाना पड़ता है।[1]

---

[1] दिलीप कुमार 1998 – बाल श्रम समस्या और समाधान योजना मई 42 (2)।

बाल श्रमिक छः सात वर्ष के उपरान्त एक वयस्क श्रमिक बन जाता है। वैयक्तिक स्तर पर उसका मूल्यांकन करने से स्पष्ट होता है कि वह न तो शिक्षित हो पाता है और न उसे वैकल्पिक रोजगार का अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार बाल श्रमिक एक ऐसे व्यक्तित्व का सृजन कर लेता है जो साड़ी उद्योग में एक विशेष वर्ग संरचना से सम्बन्धित हो जाता है जो साड़ी उत्पादन के कार्य में ही अपना अधिकांश समय लगाता है। पूँजीपति/उद्यमी वर्ग शोषण व्यवस्था में त्वरित गति प्रदान करने के लिए साड़ी उद्योग में बाल श्रमिकों की मांग को बराबर बनाए रखते हैं। इस प्रकार बाल श्रमिक बनारसी साड़ी उद्योग के यथार्थ का केन्द्र बिन्दु है। वह एक बाल श्रमिक के रूप में अपना व्यावसायिक जीवन प्रारम्भ करता है तथा समय के अन्तराल में वयस्क श्रमिक के रूप में परिपक्व होता है और अपने जीवन के अन्तिम समय तक श्रमिक बना रहता है। उसका व्यावसायिक आर्थिक गतिशीलता बहुत संकीर्ण एवं परिसीमित होता है।[1]

वाराणसी में बाल श्रमिकों से प्राप्त सुविधाएँ उत्तरोत्तर समस्यामूलक होती जा रही है। वाराणसी के पर्यटन उद्योग, हस्तशिल्प, पानी–बीड़ी व्यवसाय, अगरबत्ती, खिलौना, बनारसी सिल्क

---

1 बृजेश पाण्डेय : ग्रामीण क्षेत्रों में बाल श्रमिकों के स्वास्थ्य प्रस्थिति का समाजशास्त्रीय अध्ययन (अप्रकाशित शोध–प्रबन्ध, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी), 2001.

कला को जीवित रखने के लिए बाल श्रमिकों के अविरल उपयोग को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। परन्तु बाल्याकाल से इनमें में लगे रहने के कारण उनके व्यक्तित्व का समुचित विकास नहीं हो पाता। इस प्रकार के उद्योग में बाल श्रमिकों को प्रतिदिन 10 से 12 घंटा कार्य करना पड़ता है। सीलन युक्त वातावरण एवं प्रतिकूल दशाओं में 12 घंटे से ऊपर कार्य करते रहने के कारण शरीर में 'जकड़न' अथवा 'ऐठन' होने लगती है, रीढ़ की हड्डी से सम्बन्धित अनेक रोग होने लगते हैं, दृष्टि खराब होने लगती है, पाचन क्रिया प्रभावित होने लगती है तथा छाती एवं श्वास के रोग विकसित होने लगते हैं। यद्यपि इस प्रकार के स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं पर अध्ययन नहीं हुए है तथापि बाल्यकाल से श्रम करने के कारण बाल श्रमिकों के जीवन के विकास पथ पर अनेक अवरोध उत्पन्न होने लगते हैं। बाल श्रमिक अपने श्रम के रूप में जो भी मजदूरी प्राप्त करते हैं उसका उपभोग परिवार के भरण–पोषण में खर्च हो जाता है। उसे अपने मजदूरी का एक न्यून भाग स्वयं के मनोरंजन आदि के लिए प्राप्त होता है। बाल श्रमिक को अपनी मजदूरी से पोषाहारीय एवं स्वास्थ्य प्रस्थिति को सुधारने का अवसर बहुत कम प्राप्त होता है।[1]

---

[1] आर. एस. बाँगड़ 1999 – भारत में बाल श्रम समस्या एवं समाधान कुरूक्षेत्र जनवरी 44 (3)।

बाल श्रमिकों के पास अपने स्वतंत्र समय का अभाव होता है। यथार्थ में उसके पास अपने मनोरंजन के लिए बिल्कुल समय नहीं होता। यदि वह खेलने अथवा मनोरंजन के लिए अपने काम पर नहीं जाता हो उसे सिर्फ डांट नहीं पड़ती वरन् उसकी जमकर पिटाई भी कर दी जाती है। बाल श्रमिकों के ऊपर सबसे घातक प्रभाव शैक्षिक अभावबोध के क्षेत्र में देखा जाता है। बाल श्रमिक या तो विद्यालय में शिक्षा अर्जन के लिए कभी नहीं जाता या अगर जाता है तो बहुत प्रारम्भ में ही पढ़ाई छोड़ देता है। उसके कार्य करने का समय कुछ इस प्रकार का होता है कि वह विद्यालय जा ही नहीं सकता। उसके लिए शिक्षालय की अवधारणा ही व्यर्थ है। अपने कार्य में अपना सम्पूर्ण दिवस व्यतीत करने के कारण बाल श्रमिक शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम नहीं हो पाता कि वह साध्यकालीन कक्षाओं में जाकर विद्याध्ययन कर सकें। जीवन के प्रारम्भिक काल में ही व्यावसायिक जीवन में लिप्त होने के कारण उसे आधुनिक शिक्षा निरर्थक एवं अप्रासंगिक लगती है। उसे उसका व्यावसायिक प्रशिक्षण जीविकोपार्जन के लिए सुअवसर प्रदान कर सकती है परन्तु शैक्षिक अभावबोध उसके समक्ष बेरोजगारी, अच्छे रोजगार एवं अनिश्चित भविष्य की समस्या उत्पन्न कर देती है।[1]

---

[1] एस. पी. सिंह 1997 – चाइल्ड लेबर : दी मैलाडी एण्ड दी रेमड़ी योजना जुलाई 41 (7)।

बनारसी साड़ी उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण दुखान्त पक्ष यह है कि निर्धन एवं दलित परिवार अपने बच्चों को बाल श्रमिक के रूप में साड़ी उद्योग में लिप्त उद्योगपतियों को सौंप देते हैं और उनके बदले में उनसे वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। बाल श्रमिकों के द्वारा आय प्राप्त होने से भी उनके परिवार की निर्धनता में कमी नहीं वरन् उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। बाल श्रमिक धीरे–धीरे वयस्क श्रमिक हो जाता है, विवाह करता है और निकट भविष्य में भी अपने बच्चों को भी बाल श्रमिक बनाने के लिए दृढ़ पृष्ठभूमि का निर्माण करता है तथा उसके अल्प मजदूरी से अपनी सन्तुष्टि बनाए रखने के लिए लालायित रहता है।

यद्यपि 1986 में 'बाल श्रमिक निषेध व नियमन अधिनियम' ने बुनकारी को एक व्यवसाय के रूप में घोषित किया है जिससे बाल श्रम का निषेध है। इस अधिनियम को पारित तो कर दिया गया है परन्तु सरकारी स्तर पर बनारसी साड़ी उद्योग में बाल श्रमिकों को न तो कम किया गया और न उनकी पीड़ा को कम करने का प्रयास किया गया। गैर सरकारी संगठन एवं स्वैच्छिक अभिकरण भी बनारसी साड़ी उद्योग में बाल श्रमिकों की समस्याओं को हल करने में बहुत सार्थक प्रयास नहीं कर सके हैं।[1]

---

1 बी.के. पटनायक 1998 – बाल विकास के बेहतर प्रयास योजना नवम्बर 42 (8)।

यह उपर्युक्त समय है वाराणसी के जनमानस में सामाजिक चेतना को जागृत किया जाये तथा सिल्क उद्योग में मानव अधिकार के उल्लंघन को रोकने का सार्थक प्रयास किया जाये। बाल श्रमिकों को न्याय प्रदान करते हुए उनके खुशहाल जीवन की अपेक्षा की जाये समाज के सुविधा सम्पन्न लोगों से इस बात की अपेक्षा की जाती है कि वे बालकों को यदि मुस्कान दे नहीं सकते तो उनसे उनके जीवन के प्रारम्भिक क्षणों में ही मुस्कान छीनने का घृणित प्रयास न करें। बाल–श्रम के भयावह स्थिति से बालकों को उबारने में स्वैच्छिक संस्थाओं को अपने छद्मवेशीय नजरिया को बदलना पड़ेगा तथा यथार्थ के धरातल पर खड़ा होकर समाज के स्वार्थ निहित चुनौतियों का डटकर सामना करना होगा।

वाराणसी के श्रमायुक्त व परियोजना निदेशक द्वारा बाल श्रम को लेकर चिन्ता व्यक्त की जाती रही है। ऐसी गोष्ठियों आदि का आयोजन भी समय–समय पर किया जाता रहा है जिससे बाल श्रम के उन्मूलन पर चर्चा हो ताकि इस समस्या से निजात पायी जा सके। उनका मानना है कि बच्चों को काम पर न भेजकर स्कूलों में भेजने का माकूल इंतजाम करना होगा। इस कार्य में सभी वर्गों का सहयोग अअपेक्षित है। इनके लिए पूरे जनपद में शिक्षा आदि की व्यवस्था की गयी है। बाल श्रम विद्यालयों की स्थापना की गयी है जिसमें बच्चों को विभिन्न प्रकार से सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का

प्रयास किया जाता है। समय समय पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से उनकी समस्याओं का निराकरण करते हुए उनके शिक्षा, मनोरंजन, भोजन की व्यवस्था की जाती है। लोक संगीत, जादू व कठपुतली आदि के कार्य{म द्वारा उनका मनोरंजन किया जाता है। एवं नुक्कड़ नाटकों के मंच द्वारा इस समस्या के विरूद्ध जनचेतना का निर्माण किया जा रहा है।[1] उच्च अधिकारियों की पत्नियों द्वारा भी इस समस्या के निदान के लिए बाल श्रम विद्यालयों के बालकों के लिए टूथपेस्ट, बुकलेट, टॉफी, बिस्कुट आदि की व्यवस्था की जाती है और उन्हें उचित स्नेह प्रदान किया जाता है।[2]

---

1 'बाल श्रम समस्या व उन्मूलन' विषयक गोष्ठी, पंचायत भवन, जंसा, वाराणसी में दिनांक 21.12.2006.

2 दैनिक जागरण, 28 दिसम्बर, 2006.